

मध्य प्रदेश मंत्र-परिषद के महत्त्वपूर्ण नरिणय

चर्चा में क्यों?

30 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्र-परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश योग आयोग के गठन के अनुसमर्थन के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण नरिणय लयि गए।

प्रमुख बदि

- मंत्र-परिषद ने राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवन शैली एवं नरिणय जीवन जीने की सुवधि प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश योग आयोग के गठन का अनुसमर्थन कयि।
 - आयोग अपनी गतिविधियों का संचालन महर्षिपतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से करेगा। मध्य प्रदेश योग आयोग का प्रशासकीय वभिणय स्कूल शकिषा वभिणय होगा।
 - आयोग में राज्य शासन द्वारा मनोनीत योग के क्षेत्र में कार्यरत एवं अति विशिष्ट योगदान देने वाले अशासकीय व्यक्ती अध्यक्ष रहेंगे।
 - महर्षिपतंजलि संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष (पदेन) योग आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में रहेंगे। राज्य शासन द्वारा मनोनीत योग के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले 5 व्यक्ती अशासकीय सदस्य के रूप में रहेंगे। महर्षिपतंजलि संस्कृत संस्थान के नदिशक पदेन सचवि के रूप में कार्य करेंगे।
 - योग आयोग का पंजीयन सोसायटी एक्ट में कयि जाएगा। स्कूल शकिषा, उच्च शकिषा, तकनीकी शकिषा, आयुष, चकित्सिा शकिषा, सामाजिक न्याय, खेल एवं युवा कल्याण, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाती विकास एवं पछिड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण वभिणय के अपर मुखय सचवि, प्रमुख सचवि और सचवि के प्रतिनिधि शासकीय सदस्य होंगे।
 - अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।
- मंत्र-परिषद ने विशेष प्रकरण मानते हुए बैडमटिन खलिाड़ी प्रयिांशु राजावत को थॉमस कप में स्वरण पदक अर्जति करने पर 10 लाख रुपए प्रोत्साहन स्वरूप देने का नरिणय लयि।
- मंत्र-परिषद द्वारा खनजि साधन वभिणय में खनजि राजस्व बकाया की वसूली के लयि 'समाधान योजना' मंजूर की गई है।
 - योजना में वर्ष 1960-61 से वर्ष 2009-10 तक खनजि राजस्व बकाया पर देय ब्याज पूरणतः माफ कयि गया है।
 - वर्ष 2010-11 से वर्ष 2019-20 तक की अवधि में 5 लाख रुपए तक बकाया राशि पर देय ब्याज पूरणतः माफ एवं 5 लाख रुपए से अधिक बकाया राशि पर देय ब्याज पर 18 प्रतिशत की छूट देने का नरिणय लयि गया। इसके अनुसार छूट देने के बाद मूल बकाया राशि 60 करोड़ 7 लाख रुपए के वरिद्ध ब्याज सहति राशि 66 करोड़ 48 लाख रुपए की वसूली सुनिश्चित हो सकेगी।
 - समाधान योजना 31 अक्टूबर, 2022 तक लागू रहेगी। यदी खनजि बकाया के वरिद्ध न्यायालयीन वाद प्रचालति हैं, तब इस योजना में राशि जमा होने पर वाद वापस लयि जा सकेगा।
 - योजना के लागू होने से वर्ष 1960-61 से वर्ष 2019-20 तक की लंबति बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित हो सकेगी।
- मंत्र-परिषद ने मध्य प्रदेश नजि वशि्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन वधियक, 2022 को पुनरस्थापति करने के प्रारूप को अनुमोदति कयि।
 - संशोधन वधियक, 2022 के अनुसार अध्यादेश से पूर्व में प्रेस्टीज वशि्वविद्यालय इंदौर, टाइमस वशि्वविद्यालय भोपाल, डॉ. प्रीति ग्लोबल वशि्वविद्यालय शविपुरी एवं एल.एन.सी.टी. विद्यापीठ वशि्वविद्यालय इंदौर को स्थापति कयि गया है।
 - इसके साथ ही अन्य 3 नजि वशि्वविद्यालय अमलतास वशि्वविद्यालय देवास, आर्यावर्त वशि्वविद्यालय सीहोर एवं वकिरांत वशि्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना के लयि वधियक के प्रारूप को अनुमोदति कयि गया।
- उल्लेखनीय है कि संस्कृत भाषा तथा उसके साहित्य के अध्यापन क्षेत्र में अनुसंधान और व्यापक अध्ययन को बढ़ावा देने के प्रयोजन से स्कूल स्तर पर संस्कृत शकिषा को वनियमति करने के लयि उससे संशक्त एवं आनुषांगिक अन्य वषियों के लयि एक अधिनियम के माध्यम से महर्षिपतंजलि संस्कृत संस्थान की 2008 में स्थापना हुई। इसका मुख्यालय एमपी नगर भोपाल में है।

